

कार्यालय जिला पंचायत, जिला इन्दौर

Email address: ceozpind@mp.gov.in Fax:- 0731-2449115

क्रमांक १०६५८ जि.पं. / स्टोर / 17-18

इन्दौर, दिनांक | ४.९.१७

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 560 दिनांक 10.8.17 के अनुपालन में जिला पंचायत इन्दौर के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण, भौतिक सत्यापन एवं तकनीकि गुणवत्ता आदि हेतु दो श्रेणी में वाहनों की दरें आमत्रित की जाती है।

क्र	श्रेणी	मासिक किराया	वाहनों के नाम	आवश्यकता
1	'अ'	अधिकतम मासिक किराया रु. 25000/- प्रतिमाह (वाहनचालक सहित)	इनोवा समकक्ष एक्सयूबी 500 टवेरा, मारुति 5एक्स4 स्कार्पिंयो	1 से 2
2	'ब'	अधिकतम मासिक किराया रु. 20000/- प्रतिमाह (वाहनचालक सहित)	बोलेरो टवेरा समकक्ष	2 से 3

वाहन प्रदाता 'अ' एवं 'ब' दोनों प्रकार की श्रेणीयों के लिये निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे इस हेतु पृथक-पृथक सिक्युरिटी डिपाजिट की आवश्यकता नहीं होगी। निविदा की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. 'अ' श्रेणी के वाहनों का किराया किसी भी स्थिति में राशि रूपये 25000/- (वाहन चालक सहित) तथा 'ब' श्रेणी के वाहनों का किराया 20000/- (वाहन चालक सहित) मासिक से अधिक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
2. डीजल आपूर्ति जिला पंचायत इन्दौर द्वारा की जावेगी।
3. दिनांक 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात क्रय किये गये वाहनों को ही स्वीकार किया जावेगा। उसके पूर्व क्रय किये गये वाहनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. संबंधित एजेंसी को नियमानुसार जीएसटी का भुगतान करना होगा। अतः पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/संस्था ही इस कार्य हेतु आवेदन करे। जो जीएसटी का वैद्य पंजीयन रखते हों। (नवीन वाहन प्रदाता के पास सेवाकर का पंजीयन नहीं होने पर आगामी 1 माह में प्रस्तुत कर सकेंगे, तदाशय का प्रमाण पत्र लगाया जावें, जो व्यक्ति जीएसटी के दायरे में नहीं आते हों, तो तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
5. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टेक्सी कोटे में पंजीकृत वाहन ही उपलब्ध कराना होगा। (छायाप्रति रालान करे) (नवीन लगाने की स्थिति में तदाशय का प्रमाण पत्र लगाया जावे) जो व्यक्ति जीएसटी के दायरे में नहीं आते हों, तदसमय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
6. जिला पंचायत इन्दौर द्वारा वाहन का मासिक किराया भुगतान किया जावेगा। वाहन का संधारण, वाहन मरम्मत, दुर्घटना टुटफुट आदि समस्त प्रकार के व्यय संबंधित फर्म/एजेंसी/संबंधित व्यक्ति द्वारा वहन किए जावेंगे।
7. सिक्युरिटी डिपाजिट के रु. में राशि रु. 10000/- का वैकंड्रॉफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर को देय होगा, जिसे एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। ड्राफ्ट के अभाव में भाव पत्र का लिफाफा नहीं खोला जावेगा।
8. व्यक्ति/फर्म/संस्था से वाहन की दरे मासिक आधार पर पृथक-पृथक श्रेणी 'अ' एवं 'ब' की आमत्रित की जा रही है। अतः पृथक-पृथक श्रेणी हेतु पृथक-पृथक प्रपत्र में दरें प्रस्तुत करना होगी। किसी भी फर्म को दोनों प्रकार की दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।
9. स्वीकृत दरे सामान्यतः एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेंगी तथा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना होगा। समयावधि उपरांत सेवाए संतोषजनक होने की दशा में अनुबंध बढ़ायें जा सकता है।
10. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरादायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरूप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति, किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है, तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
11. रास्ते में वाहन खराब (Fail) होने की स्थिति में सामान्यतः 02 घण्टे में सुधार कराकर पुनः उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 2 घण्टे से अधिक अवधि में वाहन खराब (Fail) रहने पर उस दिन का किराया भुगतान नहीं किया जावेगा। खराब (Fail) वाहन को गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

